निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1935 (श0)

(सं0 पटना 434) पटना, सोमवार, 3 जून 2013

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

19 फरवरी 2013

सं0 वन्यप्राणी–02/2003 (खण्ड–ii).82(E)—नीलगायों *(Boselaphus tragocamelus)* द्वारा फसलों को पहुँचाई जा रही क्षति के प्रशमन हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) की धारा–4(1)(bb) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारियों को अपने अधिकारिता क्षेत्र में नीलगायों *(Boselaphus tragocamelus)* पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उपरोक्त अधिनियम की धारा–11(1)(b) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु दिनांक 31.12.2013 तक के लिए मानद वन्यप्राणी प्रतिपालक (Honorary Wildlife Warden) नियुक्त करती है। इस प्रस्ताव पर राज्य वन्यप्राणी पर्षद की सहमति प्राप्त है। अधिनियम की धारा–5(2) के अन्तर्गत मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार को, अधिनियम की धारा–11(1)(b) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति को मानद वन्यप्राणी प्रतिपालकों (सभी जिला पदाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा :–

नीलगाय की बढ़ी संख्या के कारण कृषि फसलों की क्षति को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया जाता है। इस समिति में निम्नलिखित पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाता है :–

1. जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी – सदस्य सचिव
3. जिला कृषि पदाधिकारी – सदस्य
4. जिला पशुपालन पदाधिकारी – सदस्य

5. सभी अनुमंडल पदाधिकारी – सदस्य

यह समिति जिले के प्रत्येक प्रखंड में नीलगाय से फसलों को होने वाली क्षति की समीक्षा कर तथा किसानों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित प्रखंड/ अनुमंडल के क्षति पहुँचाने वाले नीलगाय को नष्ट करने हेतु शूटिंग अनुज्ञा जारी किये जाने की एक सीमित संख्या निर्धारित करेगी एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुश्रवण करेगी।

समस्याग्रस्त क्षेत्रों में किसानों से क्षति पहुँचाने वाले नीलगाय को मारने हेतु आवेदन पत्र अंचल अधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एकत्रित कराकर अनुमंडल पदाधिकारी के पास प्रस्तुत किया जायेगा जिनके द्वारा समिति से शूटिंग अनुज्ञा जारी करने की संख्या अनुमोदित कराकर शूटिंग हेतु अनुज्ञा पत्र आग्नेयास्त्र लाईसेंसधारी को जारी की जायेगी एवं इसकी एक प्रति संबंधित किसान को दी जायेगी।

समिति ऐसे आग्नेयास्त्र लाईसेन्सधारी, जिनके पास राईफल हो या 12 बोर की बंदूक के साथ, एलजी कार्टरेज हो एवं क्षति पहुँचाने वाले नीलगायों को मारने के इच्छुक हो, का पैनेल तैयार करेगी एवं उसमें अंकित व्यक्तियों को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा–11(1)(b) के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अधीन आतंकी नीलगायों को मारने की अनुज्ञप्ति जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

1. अनुज्ञप्ति की अवधि चार सप्ताह की होगी। विशेष परिस्थितियों में पुनः चार सप्ताह के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी को आतंकी नीलगाय को मारने पर प्रति नीलगाय रू0 500 कार्टिज खर्च की भरपायी के रूप में देय होगा।
3. मारे गये नीलगाय को जमीन में गाड़ने हेतु 1000/– की राशि प्रति नीलगाय के लिए दी जायेगी।
4. समिति द्वारा एक पंजिका संधारित की जायेगी। इस पंजिका में अनुज्ञप्ति के विवरण के साथ–साथ निस्तारण हेतु कृत कार्यवाही का विवरण अंकित किया जायेगा तथा समिति द्वारा इसकी मासिक सूचना संलग्न प्रपत्र में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार को प्रत्येक माह संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. कार्टिज खर्च की भरपायी की राशि तथा मारे गये नीलगाय को जमीन में गाड़ने हेतु देय राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप–मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, माँग संख्या–19, उपशीर्ष–0001 निदेशन और प्रशासन, विपत्र कोड–एन 2406010010001 के विषयशीर्ष 3302 मुआवजा इकाई से किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 434-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in